न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

सुखी देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :109 / 2026

अन्तर्गत धारा :– 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2026	प्रार्थी सुजाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बड़लिया तहसील झंवर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम लूणावास कल्ला के खसरा संख्या 270 व ग्राम लूणावास जाटा के खसरा संख्या 238 की भूमि के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थीया का नाम किसी कारणवश सुकली दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम सुखी देवी है। प्रार्थीया के अन्य सभी दस्तावेजों में सुखी देवी नाम दर्ज है जो सही है। जिसे सहीं नाम सुखी देवी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार झंवर को जांच लिखा गया। तहसीलदार झंवर के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2026 / 748 दिनांक 05.05.2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लूणावास जाटा के खसरा संख्या 238 व ग्राम लूणावास कल्ला के खसरा संख्या 270 के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुकली पुत्री गंगाराम कौम जाट सा. लूणावास है जो प्रार्थीया के पिता गंगाराम के फौत होने से दर्ज किया गया जो कि दर्ज नाम सुकली पुत्री गंगाराम असम्मानजनक है। तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम सुखी देवी पुत्री गंगाराम पर किये जाने की अनुशंषा की गई। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नाम दुरूस्ती हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम लूणावास जाटा के खसरा संख्या 238 व ग्राम लूणावास कल्ला के खसरा संख्या 270 की भूमि के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुकली पुत्री गंगाराम के स्थान पर सुखी देवी पुत्री गंगाराम जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	